

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—23 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. टिडई पुत्र राम सुन्दर नि० गोरथनिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—242/20, 02. शिवचन्द्र पुत्र द्वारिका नि० खानपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—243/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सुरेश पुत्र राम राज नि० लाला पुरवा मौजा बखलिया कुर्मी थाना कटरा बाजार गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—195/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. साधू शरन पुत्र बालक नि० राघवपुर गौरा बुजुर्ग थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—209/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. भागदेई उर्फ रीता पत्नी राम करन नि० खिरवा खटिकन पुरवा मौजा खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—209/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. संतराम पुत्र मोलहू नि० चौहान पुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—209/20, 02. रिकू पुत्र श्रवण गुप्ता नि० चौबेपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—210/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. ननके पुत्र बुधई नि० सुअर मरवा रंजीत नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—146/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अजय लोध पुत्र लल्लू नि० भटपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—227/20, 02. वंश राज पुत्र जयराम नि० रेक्सडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—228/20, 03. हरी प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद नि० उपाध्यन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—229/20, 04. रणजीत शर्मा पुत्र स्व० राम जीवन नि० सिसई थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—230/20, 05. अशोक कुमार सिंह पुत्र पंचम सिंह नि० छितौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—231/20, 06. कृष्ण पाल सिंह पुत्र स्व० सत्य पाल सिंह नि० भयापुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—232/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **08. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रमेश वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0 वेलवा नोहर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-352/20, 02. राजन पुत्र जगप्रसाद नि0 राधे पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-353/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **09. थाना को0 करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दयाराम पुत्र राम कुमार नि0 बलदेव पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-328/20, 02. अयोध्या पुत्र पाटन दीन नि0 कदियापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-329/20, 03. बृजभान पुत्र फेरई नि0 रौतन कादीपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-330/20, 04. रमेश सिंह पुत्र गजराज सिंह नि0 छिटनापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-332/20, 05. रामू पुत्र सम्भर नि0 बजरिया चाइन पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-333/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **10. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. मूसे पुत्र मेवा लाल नि0 खैरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-623/20, 02. ननका देवी पत्नी गमलू नि0 खैरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-624/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही—**

### **थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

**गोण्डा।** जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 05 अभियुक्तों—01. बडकऊ पुत्र रहमत अली नि0 नगवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. अनीस पुत्र लियाकत अली नि0 जमलपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 03. विष्णु पुत्र राम बुझावन नि0 मोहनापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 04. कुलदीप पुत्र ओम प्रकाश नि0 कोठा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 05. जुगुनू पुत्र मोती चौहान नि0 इमिलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना वजीरगंज में मु0अ0सं0-237/20, 238/20, 240/20, 241/20, 245/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

**गोण्डा।** जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने रात्रि गस्त के दौरान अभियुक्त रिकू पुत्र श्रवण गुप्ता नि0 चौबेपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में मु0अ0सं0-302/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

**गोण्डा।** जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस ने गस्त के दौरान अभियुक्त लल्लन उर्फ मुसरफ पुत्र अब्दुल रहमान नि0 कमालपुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में मु0अ0सं0-331/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

**गोण्डा।** जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने गस्त के दौरान अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल कयूम नि0 पिकौरा थाना खोड़ारे व अभियुक्त युसुफ पुत्र गुलाम हुसैन नि0 पिकौरा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में मु0अ0सं0-212/20, 213/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## थाना वजीरगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बजरंगी यादव पुत्र रामदेव नि० डुमरिया डीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—246/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.08.2020 की रात्रि थाना वजीरगंज के उ०नि० प्रतीक पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० प्रतीक पाण्डेय।
02. हेड का० बलरामधर दुबे।
03. का० पंकज

## थाना धानेपुर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. होली प्रसाद पुत्र परशुराम नि० सरकारी ग्रन्ट पृथ्वीपाल ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—257/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 01.09.2020 को थाना धानेपुर के उ०नि० अमर नाथ मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गनेशपुर ग्रन्ट से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अमर नाथ।
02. का० शिवजीत यादव।
03. का० संजीव मौर्या।

## थाना खोडारे ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01.

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-211/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2020 की रात्रि थाना खोड़ारे के उ0नि0 परशुराम सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बृहद ग्राम नतौरी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 परशुराम।
02. हेड का0 श्रवण यादव।

### स्मैक पाउडर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. चुन्नीलाल पुत्र रियाज नि0 मेवातियान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अरसी पुत्र मुर्सफ नि0 मेवातियान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-629/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-630/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी-

01. 18 ग्राम 800 मिली स्मैक पाउडर।

### संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 01.09.2020 को थाना को0 नगर के उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को कटहाघाट मोड के पास से गिरफ्तार लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त चुन्नीलाल के पास से 09 ग्राम 400 मिली0ग्राम व अभियुक्त अरसी के पास से 09 ग्राम 400 मिली0ग्राम बरामद हुआ। अभियुक्तगणों को थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह।
02. का0 मनीष यादव।
03. का0 रमाशंकर।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 01.09.2020

700 ली0 अबैध कच्ची अपमिश्रित शराब, परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद टाटा व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. फूल चन्द पुत्र भागवत प्रसाद नि0 जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. अर्जुन पुत्र झुरई नि0 मलौली गोसाई थाना छावनी जनपद बस्ती।
03. भोनू यादव पुत्र भगवत दीन यादव नि0 सिटकला पाण्डेय थाना छावनी जनपद बस्ती।

#### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-254 / 20, धारा 272.भादवि, 60 / 72 आबकारी अधिनियम व 207 एमवी एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

### **बरामदगी-**

01. 700 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब।
02. 02 कि0ग्रा0 यूरिया, 01 किलो नौसादर।
03. 01 अदद टाटा गाड़ी व 01 अदद बिना नं0 प्लेट की मोटरसाईकिल।

### **संक्षिप्त विवरण-**

जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, भंडारन व परिवहन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक तरबगंज द्वारा मुखबिर की सूचना पर मनहना पेट्रोल पम्प के पास से उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 700 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद टाटा गाड़ी व 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तरबगंज में आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. इन्द्रजीत यादव प्रभारी निरीक्षक
02. उ0नि0 घनश्याम वर्मा।
03. हेड का0 देवमणि यादव।
04. का0 राकेश यादव।
05. का0 संतोष कुमार।